

प्रश्न सं. [क. 1143]

तारकित प्रश्न क्र. 1143

सदन में उठार देने का दि. 22/12/22

माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा

पृष्ठ-अ

1/1

सतना शहर अंतर्गत आर.डी.एस.एस.योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण

S. N.	DC_NAME	Location	SB_PROJ ECT No.	ERP Project No.	PROVISION						Remark
					capaciter bank	sub- station	33 KV LINE (KM)	11 KV LINE (KM)	DTR	LT LINE	
1	RES	33/11 KV CIVIL LINE SS	5037532	660749		1	0.01	0.042			Sub Station
2	TIKURIYA TOLA	CAPACITER BANK	5013763	648251	1						Capacitar Bank
3	KOLGAWAN	CAPACITER BANK	5013818	648355	1						Capacitar Bank
4	TIKURIYA TOLA	BYFERCATION DELOURA T TOLA	5026043	656354				0.155			11 kv Aug./Ext./Birf.
5	RES	ENTER CONNECTION 11 KV SOUTH BAGHA FEEDER	5061952	702235				0.89			11 kv Aug./Ext./Birf.
6	MUKTIYAR GANJ	11 KV PAURANIK TOLA FEEDER CONDUCTOR AUGUMENTATION	5058063 ↑	702231				0.556			11 kv Aug./Ext./Birf.
7	RES	11 KV PREM NAGAR FEEDER CONDUCTOR AUGUMENTATION	5059405	702234				1.505			11 kv Aug./Ext./Birf.
8	KOLGAWAN	KOLAN BASTI	5049628	673582				0.35			11 kv Aug./Ext./Birf.
9	MUKTIYAR GANJ	PAURANIK TOLA FEEDER 11 KV CONDUCTOR AUGUMENTATION	5058061	702478				1.11			11 kv Aug./Ext./Birf.
0	RES	BAGHA FEEDER LT CONVERSION / AUGUMENTAT ON	5073036- 244290	702569				1.6			11 kv Aug./Ext./Birf.
1	TIKURIYA TOLA	NEAR DURGA MANDIR	5049626	673500					1	0.21	Add. DTR
2	TIKURIYA TOLA	NEAR DADDU BAGIYA	5049027	673581				0.088	1	0.18	Add. DTR
3	TIKURIYA TOLA	GUPTA AATA CHAKKI BELAHTA	5054744	702236					1	0.13	Add. DTR
4	MUKTIYAR GANJ	JHANKAR TAKIES	5049689	673587				0.191	1		Add. DTR
5	MUKTIYAR GANJ	AMRIT COLONY	5059063	702478				0.56	1		Add. DTR
6	RES	GARG JI NEAR CHATAI FACTORY	5072983	702237					1	1.28	Add. DTR
7	MUKTIYAR GANJ	SHARDA COLONY	5049688	673586				0.113	1	0.21	Add. DTR
8	RES	ANAND BIHAR COLONY DTR	5049667	673583				0.02	1		Add. DTR
9	RES	MANDAKNI BIHAR NIRALA HOUSE	5049668	673584				0.011	1	0.01	Add. DTR
0	RES	SAI NAGAR COLONY PATERI	5049669	673585				0.179	1		Add. DTR
1	RES	BAGHA PATERI FEEDER	5073041	702581						4.12	LT Augumentation/Conversion
2	RES	PREM NAGAR SOUTH LT CONVERSION/AUGUMENTATION	244854	702571						3.2	LT Augumentation/Conversion
3	RES	11 KV NORTH FEEDER LT CONVERSION/AUGUMENTATION	5072961 ↑	702252						3.81	LT Augumentation/Conversion

अनुमान अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

अज्ञात तारीख 1143)

मान. नि. श्री विद्यार्थ सुखान्त कृतक
सदन में उत्तर देने के लिए 22/12/22

अज्ञात (अ) 1/2
पृष्ठ-4



मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं.-7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर- 482008 (म.प्र.)

// परिपत्र //

क्रमांक अ.स./पूर्व क्षेत्र/स्था-3/4 30

जबलपुर, दिनांक 11.01.2011

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. के द्वारा कम्पनी क्षेत्रांतर्गत पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक अ.स./पूर्व क्षेत्र/4412-13 दिनांक 08/06/2006, में जारी पदस्थापना नीति व उनके संशोधन पर परिपत्र क्रमांक अ.स./पूर्व क्षेत्र/स्था-3/4924-25 दिनांक 23/05/2007, क्र. अ.स./पूर्व क्षेत्र/स्था-3/656 दिनांक 22/01/2008, क्र. क्रान्ति(का)/पूर्व क्षेत्र/स्था-3/3009-10 दिनांक 22/5/2009 एवं क्रमांक अ.स./पूर्व क्षेत्र/स्था-3/5809-10 दिनांक 15/9/2010 में जारी को अधिकमित (Supersede) करते हुए पदस्थापना नीति निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

1. कनिष्ठ यंत्री से अधीक्षण यंत्री तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को कि मैदानी कार्यों से संबंधित है की पदस्थापना करते समय यह ध्यान में रखा जावे कि ऐसे पदस्थापना उनके गृह जिले में नहीं की जावे।
2. कर्मचारियों को राजस्व कार्य से संबंधित पदस्थापना उनकी गृह तहसील में नहीं की जावे।
3. लाइन कर्मचारियों की पदस्थापना उनके गृह तहसील में नहीं की जावे। प्रत्येक तीन वर्ष में उनके प्रभार क्षेत्र में परिवर्तन किया जावे।
4. कनिष्ठ यंत्रियों से लेकर अधीक्षण यंत्री तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना सामान्यतः एक ही जिले में 15 वर्ष से अधिक व एक ही क्षेत्र में 20 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखी जावेगी। अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना एक ही जिले में 20 वर्षों से अधिक रखी जावेगी।
5. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिये दो वर्ष अथवा इससे कम समय शेष है उन्हें उनके आयोग पर यदि प्रशासनिक दृष्टि से उचित हो तो ही यथा संभव उनके गृह जिले में पदस्थ करने का प्रयास किया जावे।
6. इस नीति के जारी होने के दिनांक से यदि किसी पर्यवेक्षक श्रेणी के कर्मचारी व कार्यपालन यंत्री स्तर तक के अधिकारियों का स्थानान्तरण स/स संभाग पाटन, बैलर, खिंडोरी, बैलन, पृथ्वीपुर, अनूपपुर व उमरिया के अन्तर्गत प्रशासनिक कारणवश किया जाता है तो इस पदस्थापना के दो वर्ष के उपरान्त ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की आगामी पदस्थापना इस नीति के अन्तर्गत उनके द्वारा आवेदित स्थानों पर किये जाने हेतु यथासंभव विचार किया जावे।
7. किसी एक लेखाधिकारी/स्टोर कार्यालय में कर्मचारियों की पदस्थापना अधिकतम 5 वर्ष के लिये होगी तथा 5 वर्ष बाद अन्य किसी लेखाधिकारी/स्टोर कार्यालय में ऐसे कर्मचारियों की पदस्थापना आगे 3 वर्ष नहीं की जावे।
8. अधिकारियों की पदस्थापना सामान्यतः एक पद पर दो वर्ष के लिये की जावे व कर्मचारियों की पदस्थापना एक पद पर तीन वर्ष के लिये की जावे। इस समयवाधि के पूर्व यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है तो प्रस्ताव पर प्रशासनिक या अन्य कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
9. किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की पदस्थापना पुनः उसी पद पर उसी स्थान पर न की जावे जहाँ वे पूर्व में पदस्थ रह चुका हो।
10. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जावे कि अधिकारी/कर्मचारी को ऐसे स्थान में पदस्थ किया जावे जहाँ से उस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन आवागमन पर अंकुश अनुभूति हो सके एवं पदस्थगी स्थान का कार्य प्रभावित न हो।
11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यथा संभव गृह जिले के बाहर पदस्थ नहीं किया जावेगा।

2/2

..2..

12. किसी एक कार्यालय में न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित (लीगल सेल) कार्य संपादित करने वाले कर्मचारियों की पदस्थापना अधिकतम 3 वर्ष के लिये होगी। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को तत्काल अन्य कार्य में संलग्न किया जावे। तथा उक्त कर्मचारी से आगे 3 वर्ष तक न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित कार्य संपादित न कराये जावें।

आदेशानुसार

[Signature]

अतिरिक्त सचिव

म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि.

क्रमांक— अ.स./पूर्वक्षेत्र/स्था-3/431

प्रातिदिपि—

जबलपुर, दिनांक 11/01/2011

1. सलाहकार, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
 2. मुख्य अभियंता (जल/साक्ष/रीक्ष) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
 3. अतिरिक्त सचिव, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर।
 4. अतिरिक्त निदेशक (वित्त/लेखा) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
 5. समस्त अधीक्षण यंत्री, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि.
 6. समस्त कार्यपालन यंत्री म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि.
 7. स्टाफ. आफ़ीसर, सम्बद्ध अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
 8. समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि.
 9. स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी/महालेखाकार, कार्यालय.....
जबलपुर/भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर।
 10. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. राज्य विद्युत सहकारी समिति मर्यादित
 11. ग्रंथपाल, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature]
अनुमान अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल